न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 11/2017
अनवान :–

श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री योगेश रावत पुत्र श्री बनवारीलाल रावत– (प्रो0एवं विक्रेता) मैसर्स खण्डेलवाल मिष्ठान भण्डार गजनेर रोड़, भुट्टो का चौराहा, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री राजेश रावत अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 02.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री हंसराज साध, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 25.10.2016 को अप्रार्थीपक्ष श्री योगेश रावत पुत्र श्री बनवारीलाल रावत (प्रो0एवं विक्रेता) मैसर्स खण्डेलाल मिष्ठान भण्डार गजनेर रोड़ भुट्टो का चौराहा, बीकानेर के यहां दुकान पर निरीक्षण दौरान एक स्टील की ट्रे मे करीब 6 किलोग्राम मावा पेड़ा बेचा जा रहा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर दो किलो मावा पेड़ा 180/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी निरीक्षक, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष चार साफ सुखी एवं खाली शीशीओं दिखाकर उक्त खरीदशुदा मावा पेड़ा को चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चारो साफ सुखी एवं खाली शीशीओं में डालकर प्रत्येक शीशी में 40–40 फॉर्मेलिन की बूंदे डालकर सूखी शीशीओं में शील्ड पैक एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 23.11.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा पेड़ा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा पेड़ा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से श्री राजेश रावत अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया, तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा पेड़ा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में B.R. Reading of extracted fat at 40.0 to 44.0 की तुलना में 47.4 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा पेड़ा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही एवं कथनों को अस्वीकार करता है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन बिना किसी आधारों के श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। मावा पेड़ा नमूनीकरण के लिये प्रार्थी की दुकान से लिया था उसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी सामग्री सही पायी गयी है। जांच में मावा पेड़ा में जो फेट की मात्रा नियमों में है उससे थोड़ा सा ज्यादा पाया गया हे। बी.आर. रीडिंग ऑफ एक्ट्रेड फेट एट मिल्क(दूध) का लिया है, जबकि नमूना मावा पेड़ा का लिया है। मावा पेड़ा की रिपोर्ट अनुसार किसी भी व्यक्ति को हानिकारित नहीं होता है, ना ही होने की संभावना है तथा ना ही असुरिक्षत है। अप्रार्थी एक छोटा विनिर्माता है तथा अपनी दुकान का खाद्य कारबार अनुज्ञप्ति नियमानुसार ली हुई है व उसकी पालना सद्भावित रूप से तत्पर रहता है। उसके द्वारा किसी तरह की कोताही नहीं बरता है व साफ सफाई का शुद्धता का जनस्वास्थ्य के प्रति पूरा जागरूक है। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता पर पूरा–पूरा ध्यान देता है व उपभौक्ताओं के हितों को प्रभावित नहीं करता है। अप्रार्थी की उक्त दुकान बहुत पुरानी व विश्वसनीय प्रतिष्ठान है जो लगभग 25–30 वर्ष पुरानी है इस दरम्यिान कभी भी खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की हुई है, ना ही इस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हुई है और ना ही उसके द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन की पुर्नरावृत्ति की हुई है। अन्त में अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त तथ्यों को नम्रता से ध्यान करते हुवे व अप्रार्थी की स्थिति को देखते हुवे उसके खिलाफ आवेदन को मौजूदा सूरत में ड्रॉप फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा पेड़ा का सेम्पल लिया गया था वह मावा पेड़ा अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा पेड़ा उत्पादन कर आम जनता को विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की दिनांक 23.11.2016 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा पेड़ा B.R. Reading of extracted fat at 40.0 to 44.0 की तुलना में 47.04 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा पेड़ा विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 5,000/– अखरे पांच हजार रूपये की शास्ति आरोपित करते है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर(प्रशा), बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner